प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 23.09.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में 46वें हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को धारा 489(बी)/489(सी) भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 40,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 21.10.2020 को थाना नगीना पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.शाहिद उर्फ पप्पी पुत्र मौ0 ताहिर निवासी मंगा बस्ती थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर व 2.लईक निवासी ग्राम शहबाजापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को 02,58,000/- रूपये के जाली नोट, 500 ग्राम चरस तथा थाने पर पंजीकृत चोरी के अभियोग से संबंधित 04 हजार रूपये की नगदी सहित गिरफ्तार किया गया था।

इस संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 485/20 धारा 420/489(बी)/489(सी) भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 23.09.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे नगीना, जनपद बिजनौर द्वारा धारा489(बी)/489(सी) भादवि के आरोपित हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त शाहिद उर्फ पप्पी पुत्र मौ0 ताहिर निवासी मौ0 कलालान थाना नगीना जनपद बिजनौर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 40,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शाहिद उर्फ पप्पी उपरोक्त थाना नगीना का हिस्ट्रीशीटर (हिस्ट्रीशीटर सं0 346/ए) अपराधी है जिसके विरूद्ध जनपद बिजनौर व गैर राज्यो मे डकैती/लूट/धोखाधडी आदि के आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त शाहिद उर्फ पप्पी पुत्र मौ0 ताहिर निवासी मौ0 कलालान थाना नगीना जनपद बिजनौर। **(हिस्ट्रीशीटर सं0 346/ए)**

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक - 23.09.2025**

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.09.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	शेरकोट	मुजम्मिल उर्फ गुड्डू पुत्र कामिल निवासी ग्राम शहजादपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2.	अफजलगढ	लईक पुत्र इरशाद निवासी ग्राम भोगीजोत थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मण्डावर **दिनांक 23.09.2025**

थाना मण्डावर पुलिस ने मु0अ0सं0 201/25 धारा 74/78/115(2) बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.09.2025 को वादिया ने थाना मण्डावर पर तहरीर दी कि अभियुक्त समीम उर्फ शमीम पुत्र मौ0 उमर निवासी मौहल्ला मंगल बाजार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया की पुत्री का पीछा करते हुए उसके साथ छेडछाड की गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 201/25 धारा 74/78 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 115(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 23.09.2025 को थाना मंडावर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त समीम उर्फ शमीम पुत्र मौ0 उमर निवासी मौहल्ला मंगल बाजार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का विवरण –

समीम उर्फ शमीम पुत्र मौ0 उमर निवासी मौहल्ला मंगल बाजार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 201/25 धारा 74/78/115(2) बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना मण्डावर बिजनौर।

पुलिस टीम –

1. म0उ0नि0 श्रीमती प्रेरणा यादव थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी अजीत कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मण्डावर **दिनांक 23.09.2025**

थाना मण्डावर पुलिस ने मु0अ0सं0 199/25 धारा 351(3) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.09.2025 को वादी ने थाना मण्डावर पर तहरीर दी कि अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ संजय पुत्र फत्तू सिंह निवासी ग्राम किशनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के भाई के साथ गलत कार्य किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 199/25 धारा 351(3) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 23.09.2025 को थाना मंडावर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ संजय पुत्र फत्तू सिंह निवासी ग्राम किशनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का विवरण –

भूपेन्द्र उर्फ संजय पुत्र फत्तू सिंह निवासी ग्राम किशनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

पुलिस टीम –

1. थानाध्यक्ष श्री पवन कुमार शर्मा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
2. मुख्य आरक्षी अश्वनी थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी अंकित कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना हल्दौर **दिनांक 23.09.2025**

थाना हल्दौर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरण-

थाना हल्दौर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त जोनी पुत्र लोकेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मुकरपुर गदई थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया। बरामदगी के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 220/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का विवरण –

जोनी पुत्र लोकेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मुकरपुर गदई थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण

01 अवैध तमन्चा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पुलिस टीम –

1. म0उ0नि0 अन्नू कुमारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी अंकित तोमर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी आशीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना धामपुर **दिनांक 23.09.2025**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 360/25 धारा 303(2) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त को चोरी किये गए एक लोहे के दरवाजे सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.09.2025 को वादी श्री ईश्वर सिह पुत्र विशम्बर सिह निवासी ग्राम चकशहजानी थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा ग्राम चकशहजानी के शमशान घाट मे बने शौचालय के 03 लोहे के गेट चोरी कर लिये गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 360/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त रोहित पुत्र कमलेश निवासी मौ0 चामुण्डा मन्दिर कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 23.09.2025 को थाना धामपुर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र कमलेश निवासी मौ0 चामुण्डा मन्दिर कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया की उसने करीब 20 दिन पूर्व ग्राम चकशहजानी के शमशान घाट से 03 लोहे कि किवाड चोरी कर लिये थे जिनमे से 02 दरवाजो को उसने राह चलते कबाडी वाले को बेच दिया था। आज वह तीसरे दरवाजे को बेचने की फिराक मे था।

अभियुक्त का विवरण –

रोहित पुत्र कमलेश निवासी मौ0 चामुण्डा मन्दिर कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण

चोरी किया गया लोहे का एक दरवाजा।

पुलिस टीम –

उ0नि0 विजेन्द्र कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
आरक्षी अमित थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
आरक्षी अर्जुन कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।